



2026:AHC:126698,

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 16561/2026

अंसार @ अंसार कुरैशी

----- आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

----- विपक्षी (गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मोहम्मद नौशाद

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी,

यह मामला आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की उल्लेख पर्ची पर लिया गया है।

आवेदक की ओर से आज दायर पूरक हलफनामा अभिलेख में ले लिया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह आवेदन उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत दर्ज मामले संख्या 188/2026 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है। आवेदक को

गैंग चार्ट में उसके खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों के आधार पर इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि गैंग चार्ट में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर ही आवेदक को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक न तो किसी गिरोह का सदस्य है और न ही नेता, और उसने कभी भी किसी असामाजिक गतिविधि में भाग नहीं लिया है। गैंग चार्ट में दर्ज आपराधिक मामलों में उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है (इस जमानत आवेदन के अनुलग्नक संख्या 2 का पैरा '6')। विद्वान अधिवक्ता ने आगे अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बताया कि गैंग चार्ट में दर्शाए गए दो आपराधिक मामलों के अलावा, आवेदक का दस अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन उन सभी मामलों में उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है (वर्तमान जमानत आवेदन का अनुलग्नक संख्या 3 और पूरक हलफनामे का अनुलग्नक संख्या एस ए-1)। वर्तमान मामले में वह 23.3.2026 से जेल में है।

इसके विपरीत, विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि गिरोह चार्ट में दर्शाए गए दो आपराधिक मामलों के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया था और उक्त मामलों में उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। हालांकि, गिरोह चार्ट में दर्शाए गए मामलों के अलावा, आवेदक का दस मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन उन सभी मामलों में उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और वर्तमान मामले में वह 23.3.2026 से जेल में है। इसलिए, न्यायालय का मत है कि आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित है।

उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है।

आवेदक अंसार उर्फ अंसार कुरैशी को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की विचारण के दौरान मामले के गुण दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

10 जून, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।